भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 486
03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: अत्यधिक वर्षा के कारण फसल क्षति

486. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से भारी वर्षा और तूफ़ान के कारण सोयाबीन, मक्का, ज्वार, प्याज और अन्य फसलों को हुई भारी क्षति के बारे में कोई विस्तृत रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्षति का फसलवार अनुमानित आर्थिक मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का एनडीआरएफ के मानदंडों के बाह्र या इनके अतिरिक्त प्रभावित किसानों को तत्काल राहत के लिए किसी विशेष आर्थिक पैकेज का विचार है;

(घ) महाराष्ट्र में इस आपदा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत कितने बीमा दावों का निपटान किया जाना है; और

(ङ) सरकार द्वारा समय पर मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनियों द्वारा मूल्यांकन और भुगतान प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं की स्थिति में जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध निधियों से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। एसडीआरएफ के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में विचार की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता क्षतिपूर्ति के रूप में न होकर राहत के तौर पर होती है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार को एसडीआरएफ के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 4176.80 करोड़ रुपये (3132.80 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा + 1044.00 करोड़ रुपये राज्य हिस्सा) की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से केंद्रीय हिस्से के रूप में राज्य को 1566.40 करोड़ रुपये की पहली और दूसरी किस्त जारी की गई है।

वर्ष 2025 के दौरान बाढ़ की स्थिति में नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने हेतु दिनांक 16.10.2025 को एक अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) का गठन किया गया। आईएमसीटी ने दिनांक 03.11.2025 से 05.11.2025 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आईएमसीटी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रभावित क्षेत्र में सर्वेक्षण किया गया और वर्ष 2025 के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 75.42 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ। राज्य सरकार ने किसानों को राहत प्रदान की। जून से सितंबर 2025 के दौरान प्रभावित किसानों को कुल 9700.87 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, रबी मौसम के लिए बीज और अन्य संबंधित इनपुट के लिए प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये की सहायता, अधिकतम 3 हेक्टेयर तक, प्रदान की गई है। इसके लिए कुल 9611.17 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत, खरीफ 2025 के मौसम में, महाराष्ट्र राज्य में 59.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा करने के लिए कुल 93.81 लाख आवेदन दर्ज किए गए। सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- सरकार ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के विकास का कार्य शुरू किया है, जो सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने वाले डेटा के एकल स्रोत के रूप में कार्य करेगा। इसमें किसानों का प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन, बेहतर निगरानी के लिए अलग-अलग बीमित किसान के विवरण को अपलोड करना/प्राप्त करना और दावा राशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में अंतरित करना सुनिश्चित करना शामिल है।

- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु 'डिजीक्लेम मॉड्यूल' नामक एक विशेष मॉड्यूल को क्रियान्वित किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि खरीफ 2024 से सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जा सके। यदि बीमा कंपनी द्वारा भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, तो एनसीआईपी के माध्यम से स्वतः गणना करके 12% का जुर्माना लगाया जाएगा।

- केंद्र सरकार द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में दिए जाने वाले हिस्से को राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले हिस्से से अलग कर दिया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे प्राप्त हो सकें।

- योजना के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से अपने प्रीमियम हिस्से को जमा करने के लिए एस्क्रो खाता खोलना खरीफ 2025 सीजन से अनिवार्य कर दिया गया है।

- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए, उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) डेटा को सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से एकत्र करना और इसे राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन की निगरानी करने की अनुमति देना, राज्य भूमि अभिलेखों को एनसीआईपी के साथ एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम किसानों के दावों के समय पर निपटान में सुधार के लिए पहले ही उठाए जा चुके हैं।

- बीमा कंपनी द्वारा दावों के भुगतान में देरी पर राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर स्वतः ही गणना करके बीमा कंपनी पर 12% जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

*****